


प्रस्तुति २ (नियम ११ (४) दे खए)



तां मिला अधिकारी  
हर को जाए

### कार्यालय, जिला शक्षा अधिकारी (GUNA), मध्यप्रदेश

दरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांकः स्कूल आई.डी. - 07036433/1205  
पति,

दिनांकः 11/12/2017

प्रबंधकः

(Shri Gurukul Higher Secondary School)

वधया: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा वा अधिकार नियम, 2010 के नियम ११ के उपनियम (४) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पर दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से प्राप्तात्मकी पत्र व्यवहार/ नियीक्षण के सदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Shri Gurukul Higher Secondary School, Near Railway Over Bridge A. B Road Guna, वा कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लए मान्यता पटान करता हूँ।

एक स्वीकृति विम्ल त खत रातों की पूर्ति के अध्यधीन होगी।

- मान्यता वस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संवदता की कोई वापर्यता कसी भी रूप में यथ क्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाधि १) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाधि २) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ास की सीमा के चंचल सभूत तथा कागजार चंगे के बालकों को कक्षा १ में न्यूनतम २५ प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि में स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें पर्याप्त यथ बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य पार भक शक्षा देगा जिस रूप में उसके वापर्यता व्यय को पूरा करने देतु इस प्रकार वा रूपक आवार्ती सहायता या अनुदान पास होता है। कंतु यह न्यूनतम पर्याप्त उत्तिशत के अधीन ऐसा व्यश्वर्ती के जहां स्कूल पूर्य स्कूल (प्र-स्कूल) शक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की घारा 12 के उपधारा (१) के प्रणट (क) व (ग) में उपर्युक्त प्रयोग के लए लाग होगी।
- पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अधिनियम की घारा 12 (२) के अनुसार व्यय की परिपूर्ति की आएगी तथा ऐसी परिपूर्ति पास करने के लए स्कूल को पृथक् रो बैंक खाता उपलब्ध कराता होगा।
- भोगाइटी/स्कूल नहीं भी वा पारेशन कीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिकारक के साथ कसी उपलब्धी वा ज्ञान के नहीं अपताएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रयोग देने से इकार नहीं करेगा।
  - (क) आगु के सबूत के अधाय में;
  - (ख) याते प्रतेश के लए वहित की गई वस्तारित कालावधि के पञ्चात् ऐसा प्रयोग याता नहीं करेगा;
  - (ग) धन, जूति या गुलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आपार पर।

रक्षण मुद्रित करेगा का-

- कसी स्कूल में प्रार भक शक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्कासन करनी नहीं करा जाएगा।
- कसी बालक के धारीरिक या मान सक रूप से पता डल नहीं करगा जाएगा।
- प्रारं भक शक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- नियम १९ के अधीन पार भक शक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
- अधिनियम की घारा 23(१) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शहतों की गती की जाएगी, वशते के वर्तमान में कार्यरत जो शहत इस अधिनियम के पारामा होते पर न्यूनतम अनुसार नहीं रखते हैं। उन्दे अधिनियम के पारामा होते के दिनांक से ५ दर्थ की अवधि गे निर्धारित न्यूनतम आहता पास करनी होगी।
- शहतों की अधिनियम की घारा 24(१) के अधीन वनिर्दिष्ट वर्तमान कालावधि का पालन करना होगा।
- प्रायोरेट दी दृग की गति व धर्यों में शक्षक स्वयं आग नहीं लेगा/रेगा।
- रक्षण रागु चत वा धकारी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्ची का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की घारा 19 में वहित के अनुसार स्कूल अनुपात में स्कूल में बच्चों का लागांकन करा जाएगा।

Principal

**SHRI GURUKUL**  
**HR. SEC. SCHOOL, GUNA (M.P.)**

086541111031223

	राष्ट्रीय	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	कराए का भवन	कराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	31500	31500
10	स्कूल का नि गेत क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	9000	9000
11	घोल गोदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	22500	22500

	आधिकारिक वर्वरण	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
कक्ष		संख्या	आंसूत आकार (वर्ग फीट में)
कक्ष आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्ष	14	384	14
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	3	250	3
ओजनालय-सह-भण्डार	0	0	0

	अन्य सुवधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	व्या सभी सुवधाओं तक पहुंच वापा रहित है। सान्ही	हौ	हौ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हौ	हौ
3	धेलवट्ट एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हौ	हौ
4	पुस्तकों की संख्या	1400	1400
5	प्रतिकारण समाचार पत्र	4	4
6	प्राज्ञ गुवाहा का प्रकार	Pipe Water	Pipe Water
7	प्रधान सुवधा की संख्या	7	7
8	शाहीय का प्रकार (आर्द्धीय/पर्चिगी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	तड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	5	5
10	तड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	5	5
11	प्रकल्प वर्षों के तए उपयुक शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? सान्ही	हौ	हौ

- लेखे संपरी क्षत कए जाएंगे तथा चार्टर्ट एकाउन्टेंट द्वारा सत्या पत होंगे और उसका लेखा दवरण लियाँगी के अनुसार तैयार होगा। पत्येक लेखाओं के वर्वरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शक्ता अ धकारी को भेजी जाएगी।
- आपको स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 07036433.. एवं डाईसकोड (DISE) 23070633903 है। इस कार्यालय के साथ प्राज्ञाचार में यह कोड लम्बर मद्देत कर जाए।
- ऐसी रिपोर्ट और जालकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो जाज्य शक्ता केन्द्र/जिला शक्ता अ धकारी द्वारा सामग्र-सामग्र पर उपर क्षत की जाए, और स्कूल द्वारा सरकार/स्थानीय प्राधकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा क स्कूल के संचालन की क मर्यों को दूर करने के लए उपयोग मान्यता की शर्तों की विरन्तर प्रूति सुनिश्चित करने हेतु जारी कर जाए।
- सोशायटी/न्यास, यदि कोई हौ. के पंजीयन का नवीकरण वाया जाएगा।
- अन्य शर्तें संतुष्ट उपादधि "तीव्र" के अनुसार होंगी।
- अन्य प्रतियोगी एवं लियाँग को उपयोगी और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन नपाए जाने तथा सद्द हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

  
 Principal  
**SHRI GURUKUL**  
 HR. SEC. SCHOOL, GUNA (M.P.)  
 CBSE Aff. Num. 1031223

मंत्रीग,  
**जिला प्रशासक अधिकारी**  
 जिला गुना (म.प्र.) मध्यप्रदेश